बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

27 फरवरी 2026

[ऊर्जा विभाग - आपदा प्रबंधन विभाग - पर्यटन विभाग - योजना एवं विकास विभाग - संसदीय कार्य विभाग - विधि विभाग - स्वास्थ्य विभाग].

कुल अल्पसूचित प्रश्न 10

प्रतिनियुक्ति कराना

*123 **श्री तारकिशोर प्रसाद (63) (कटिहार):**

स्वास्थ्य विभाग :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार के जिला अस्पतालों में आईसीयू वार्डों का संचालन विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी एक गंभीर समस्या बन गयी है,

2. क्या यह बात सही है कि जिला अस्पताल में सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर निवेश के बावजूद आईसीयू वार्ड क्रियाशील नहीं हो पाया है, जिसके कारण मरीज किसी अन्य महंगे निजी अस्पतालों में जाने को विवश हो रहे है,

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुये जिला अस्पतालों में आई०सी०यू संचालन हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कब तक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

औचित्य बतलाना।

*124 **श्री सुरेन्द्र राम (119) (गरखा (अ० जा०)):**

स्वास्थ्य विभाग क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि पटना जिला स्थित जयप्रभा मेदांता अस्पताल द्वारा मरीजों से चिकित्सक परामर्श शुल्क सात दिनों के उपरांत पुनः वसूली की जा रही है, 2. क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त अस्पताल में दिनाक - 06.02.26 को चिकित्सकीय परामर्श हेतु परामर्श शुल्क दिया गया तथा चिकित्सक द्वारा परामर्शानुसार जाँच-कराकर जॉच रिपोर्ट दिखाने हेतु दिनाक-14.02.26 को दोबारा प्रावधानानुसार परामर्श शुल्क लिया गया है,3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जयप्रभा मेदांता अस्पताल द्वारा मरीजो से चिकित्सक परामर्श शुल्क प्रत्येक सात दिनों के उपरांत दोबारा लेने का औचित्य क्या है ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*125 **श्री राहुल कुमार** (216) (**जहानाबाद**):

स्वास्थ्य विभाग :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 40-50 हजार लोग आनुवंशिक स्थिति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हैं तथा प्रतिवर्ष 3-4 हजार बच्चे इस लक्षण के साथ जन्म लेते हैं,
2. क्या यह बात सही है कि उक्त लक्षण से ग्रसित बच्चे सामान्य जीवन जीने में असमर्थ होते हैं और इन्हें दिव्यांग श्रेणी में रखना पड़ता है,
3. क्या यह बात सही है कि गर्भावस्था के दौरान इसका परीक्षण हो जाने से समय पर स्पीच थैरेपी, स्पेशल एजुकेशन आदि की सुविधा प्रदान करने से ग्रसित बच्चें लगभग सामान्य जीवन यापन करने में सक्षम हो सकते है,
4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सभी सदर अस्पतालों में आनुवशिक सिंड्रोम रोग की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?

सौदीर्यीकरण कराना

*126 **श्री मनीष कुमार** (160) (**धोरैया (अ० जा०)**):

विधि विभाग :-

क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य एवं झारखंड राज्य के सीमावर्ती बाँका जिला के धेरैया प्रखंड अन्तर्गत धन्कुंड ग्राम में एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे मुगलकाल में ध्वस्त कर दिया था, जिसका अवशेष अभी तक धरातल पर दीवाल के शक्ल में मौजूद है तथा मंदिर के बगल में शिवगंगा नदी भी हैं,
2. क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर में शिवरात्रि एवं सावन महीना में लाखों शिवभक्तों द्वारा जलाभिषेक किया जाता हैं, इस आस्था का प्रतीक पौराणिक धनकुण्ड नाथ मंदिर का

पुनर्निमाण /जीर्णोधार और सौंदर्यीकरण अब तक नहीं किया गया है,
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त धनकुण्डनाथ मंदिर का पुनर्निमाण /जीणोर्धार तथा सौदीर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?

व्यवस्था लागू करना

*127 **श्री रितुराज कुमार (217) (घोसी):**

स्वास्थ्य विभाग :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के सदर एवं जिला अस्पतालों से गंभीर रोगियों को उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर की वर्तमान व्यवस्था अव्यवस्थित है फलस्वरूप मरीजों को पटना स्थित प्रमुख संस्थानों में भेज दिया जाता है, जिससे मरीजों एवं उनके परिजनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,
2. क्या यह बात सही है कि उक्त संस्थानों के बीच आपसी समन्यवय तथा वास्तविक समय पर बिस्तर उपलब्धता की व्यवस्था के अभाव में मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकना पड़ता है,
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार गंभीर मरीजों के रेफरल हेतु समुचित समन्वय, डिजिटल बिस्तर प्रबंधन प्रणाली तथा मरीज को भेजने से पूर्व बेड उपलब्धता सुनिच्श्रित करने के लिए कोई ठोस नीति या व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखती है, यदि हाँ तो उसका विरिवरण एवं संभावित समय-सीमा क्या है, नहीं तो क्यों ?

SDRF टीम को अपग्रेड करना।

*128 **श्री कुंदन कुमार (146) (बेगूसराय):**

आपदा प्रबंधन विभाग :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:
1. क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के economy survey 2025-26 में सर्वे के अनुसार 2024-25 में 2039 लोगों की मृत्यु डूबने से हुई है, जबकि 2024-25 में अन्य सभी आपदाओं को मिलाकर कुल 2547 मृत्यु हुई है,
2. क्या यह बात सही है कि SDRF टीम की तैनाती अनुमंडल में नहीं रहने एवं आवश्यक उपकरण के अभाव में SDRF टीम अंचल कार्यालय पर छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए निर्भर है, जिससे रिस्पांस टाइम में विलम्ब के कारण जान की क्षति होती है;
3. क्या यह बात सही है कि SDRF टीम लोकल गोताखोरों पर ज्यादा आश्रित रहते हैं जो समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं,
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार राज्य में डूबने से मृत्यु को

रोकने हेतु SDRF टीम की तैनाती अनुमंडल स्तर पर एवं SDRF टीम को अपग्रेड कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

भुगतान कराना

***129 श्री मिथिलेश तिवारी (99) (बैकुण्ठपुर):**

स्वास्थ्य विभाग :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014 से 2017 के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा कराई गई है,

2.क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में बीमा प्रदाता कम्पनियों को अंशकालीक राज्यांश राशि - 32,97,21,085 रूपये का भुगतान किया गया था जबकि राज्य द्वारा 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 तक वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन केंद्र सरकार को नहीं भेजने के कारण चयनित अस्पतालों के बकाया राशि का भुगतान लम्बित है,

3.क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत BPL परिवारों के लाभुकों के आँखों की शल्य चिकित्सा मद की लाखों की राशि शांति नेत्रालय, महाराजगंज (सिवान) सहित अन्य अस्पतालों का अभी तक बकाया भुगतान लम्बित है,

4.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार शांति नेत्रालय सहित राज्य के सभी सम्बद्ध अस्पतालों के वर्ष-2016-17 तक बकाया राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

व्यवस्था करना

***130 श्री सुभाष सिंह (101) (गोपालगंज):**

स्वास्थ्य विभाग :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि:-

1. क्या यह बात सही है की सदर अस्पताल, गोपालगंज मे एमआरआई तथा एंजीओग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण मरीजों को उक्त जांच अन्यत्र महंगे दर पर कराना पड़ता है,

2. क्या यह बात सही है की हृदय, मस्तिष्क और नस संबंधी बीमारियों के लिए एमआरआई तथा एंजीओग्राफी जैसे जीवन रक्षक व्यवस्था सदर अस्पताल में नहीं होने से मरीजों को परेशानी होती है,

3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार एमआरआई तथा एंजीओग्राफी की व्यवस्था सदर अस्पताल, गोपालगंज में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कारवाई करना

*131 **श्री अनिल सिंह** (236) (**हिसुआ**):

ऊर्जा विभाग :-

क्या मंत्री, उर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1. क्या यह बात सही है कि उर्जा विभाग के नियमानुसार बिजली चोरी में पकड़े जाने की तिथि के एक वर्ष पूर्व से जूर्माने की राशि निर्धारित की जाती है, जबकि किसी भी अन्य विभाग के लिये भूतलक्षी प्रभाव से जुर्माना/सजा देने का प्रासधान नहीं है;

2. क्या यह बात सही है कि विधुत चोरी के मामले में ज्यादातर गरीब परिवार के लोग पकड़े जाते है। जिनके पास विधुत कनेक्शन लेने के लिए पर्याप्त कागाजात एवं जानकारी नहीं है;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार एक वर्ष पूर्व से जमाना वसूलेन के नियम को शथील करते हुए विधुत कनेक्सन लेने की प्रक्रीया को सरल बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?

मुआवजा राशि देना

*132 **श्री तारकिशोर प्रसाद** (63) (**कटिहार**):

आपदा प्रबंधन विभाग क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्या यह बात सही है कि विधुत स्पर्शाधांत से मृत्यू होने पर सरकार के द्वारा मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है, जिससे आश्रितों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है,यदि हाँ तो सरकार लोकहित में विद्युत स्पर्शाधात से हुई मृत्यू पर उनके आश्रितों को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?